संख्या-49/2026/I/1507657/2026/001-451-83-अव0-2026

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीसीडा,
ए-1/4 लखनपुर, कानपुर।

अवस्थापना विकास अनुभाग लखनऊ : दिनांक 29.10.2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत यूपीसीडा प्राधिकरण की जनपद कानपुर में ट्रान्सगंगा सिटी को कानपुर शहर से जोड़ने हेतु गंगा नदी पर 04 लेन सेतु, पहुॅचमार्ग के निर्माण हेतु प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि तथा द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1958/एसआईडीए/अभि0अनु0मु0/दिनांक 03-07-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत जनपद कानपुर में ट्रान्सगंगा सिटी को कानपुर शहर से जोड़ने हेतु गंगा नदी पर 04 लेन सेतु, पहुॅचमार्ग के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रूपये 90.00 करोड़ के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए स्वीकृत धनराशि की द्वितीय किश्त की मॉग की गयी है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0-2026/001-45-83-अव0-2026 दिनांक 24-03-2026 द्वारा अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित बजट 600.00 करोड़ के जनपद कानपुर में ट्रान्सगंगा सिटी को कानपुर शहर से जोड़ने हेतु गंगा नदी पर 04 लेन सेतु, पहुॅचमार्ग के निर्माण हेतु धनराशि रू0 460.00 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 90.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

यूपीसीडा द्वारा प्रथम किश्त की निर्गत धनराशि रूपये 90.00 करोड़ के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत उक्त कार्य हेतु अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट 3500 करोड़ से निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-5 में प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि तथा द्वितीय किश्त के रूप में अनुमन्य शेष धनराशि रू0 232.00 करोड़ (दो सौ बत्तीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रभाग द्वारा आंकलित/अनुमोदित लागत (रू0 करोड़ में)	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि (करोड़ में)	प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि तथा द्वितीय किश्त की धनराशि (करोड़ में)
1	Bridge Trans Ganga City	460.00	90.00	232.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(i) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(ii) आवंटित धनराशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए धनराशि का आवंटन किया जा रहा है।
(iii) कार्य कराने के पूर्व प्राक्कलनों की स्वीकृति विभाग के कार्यों के लिए लागू सक्षम स्तर से अनुमोदन सुनिश्चित किया जायेगा।
(iv) स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31-03-2027 तक कोषागार, कानपुर नगर से आहरित कर लिया जाय तथा जिन वाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाय उसकी सूचना शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को भेजी जाय।
(v) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(vi) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
(vii) निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का आहरण कर बैंक खातों में नहीं रखा जायेगा।
(viii) प्राधिकरण द्वारा लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
(ix) प्रायोजनान्तार्गत प्रस्ताि़वत कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छा़दित किया जाना प्रस्तावित है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,32,00,00,000 (रुपये दो अरब बत्तीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 4875608000300 अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल),
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, अपर मुख्यय सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
5- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- आहरण वितरण अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
9- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर।
10- वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
11- आहरण वितरण अधिकारी, कार्यालय आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर।
12- सुपरयूजर, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल),
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।